

अधिसूचना

संख्या ~~नं. 16~~ 1957/वा.परि.यो. 3 दिनांक नई दिल्ली

2.7.1976

क्योंकि दिल्ली/नई दिल्ली की सड़कों पर वातायात के निर्वाध प्रवाह व सड़क के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है।

और क्योंकि दिल्ली/नई दिल्ली में भारी माल वाहक वाहनों/मध्यम मालवाहक वाहनों के चलने के कारण सघनता की समस्या और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सड़क उपयोगकर्ताओं की सम्पत्ति एवं जीवन को खतरे में डालने की एक बड़ी समस्या के रूप में पैदा हुई है।

और क्योंकि इन क्षेत्रों के निवासियों, बच्चों, नागरिकों और साधारण सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुविधा निश्चित करने के लिए दिल्ली/नई दिल्ली की सड़कों पर भारी माल वाहनों व मध्यम माल वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित करना आवश्यक है।

निम्नलिखित मार्गों व क्षेत्रों में प्रतिबंधों के विषय में जो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त, दिल्ली/उपायुक्त पुलिस, वातायात, दिल्ली ने पहले किये हुए थे उनको रद्द करते हुए मैं, उज्ज्वल मिश्रा, उपायुक्त पुलिस, वातायात, दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य वातायात नियमन 1980 की धारा 30(1) जिसके अंतर्गत मुझको अधिकार प्राप्त है का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारी माल वाहनों/मध्यम माल वाहनों के चलने तथा गलत ढंग से खंडा करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में वातायात के व्यवस्त समय सुबह 7.30 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंधित करता हूँ:-

1. एन.एच.-24
2. निजामुद्दीन ब्रिज रोड
3. रोड नं. 56
4. रोड नं. 57
5. 100 फूट रोड
6. जी.टी. रोड (ईस्ट दिल्ली)
7. रैजीडेन्सीयल ऐरिथा ओन द रोड लिडिंग भ्रमनपुरा क्रोसिंग से करावल नगर तक
8. शहीदजी सिंह सांसवाल मार्ग
9. घौण्डा रोड वजीराबाद रोड से यमुना बिहार रोड तक
10. वजीराबाद रोड से विजपुरी रोड तक
11. वजीराबाद रोड से करावल नगर रोड तक
12. आउटर रिंग रोड राव तुलाराम मार्ग से क्रोसिंग कालकाजी मंदिर तक
13. पंचशील पार्क मार्ग
14. कैप्टन गौड़ मार्ग
15. मायापुरी रोड
16. नजफगढ़ रोड, जखीरा से विकासपुरी आउटर रिंग रोड तक डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकासपुरी

कृपया 2/

1. एन.एच.-8 से राजौकरी क्रॉसिंग तक
18. बो नितो जेज मार्ग
19. नारायणा लोहा मण्डी ' जैड ' ब्लोक पैस-1
20. टोडापुर रोड़
21. नारायणा रोड़, रिंग रोड़ से पटेल रोड़ वाया लोहा मण्डी तक
22. रामा रोड़
23. जेल रोड़
24. पंखा रोड़
25. लिंक रोड़ राजेन्द्र नगर 'अपर रिज रोड़ से टोडापुर रोड़'
26. रानी झांती रोड़ से राउण्ड अबाउट पंचकुइया तक
27. अपर रिज रोड़
28. मिल्ट्री रोड़
29. पैज रोड़
30. श्रद्धानन्द मार्ग अजमेरी गेट से चौक लाहौरी गेट तक
31. गुलाबी वाग रोड़ इसके जंक्शन साथ में ओल्ड रोहतक रोड़ से स्वागी नारायण मार्ग
32. जी.टी. करनाल रोड़ 'घण्टा घर से 'वाई' 'प्वार्डन्ट आजादपुर तक
33. रोशनआरा रोड़, चौक घण्टा घर इसके जंक्शन साथ में रानी झांती मार्ग और गोयनका र 'दीनानाथ मार्ग', काली सड़क और इसके जंक्शन गुलाबी वाग रोड़ तक
34. कालीदास मार्ग
35. रोड़ लिफिंग कालीदास मार्ग और रोहतक रोड़
36. सम्पूर्ण रिंग रोड़ 'इसके सिवाय माल रोड़ 'वाई' 'प्वार्डन्ट आजादपुर से चन्दगी राम अखाड़ा तक
37. रोहतक रोड़, पीरागढ़ी चौक से रानी झांती मार्ग तक
38. क्षेत्र नथा बाजार के
39. विजली रोड़ ब्रे पीली कोठी से 'इं' जंक्शन के साथ सदर पुल रोड़ तक
40. कुतुब रोड़ पुल सिठाई से पुल पहाड़ गंज तक
41. बुलवर्ड रोड़
42. न्यू आई. एस. बी. टी. फ्लाईओवर रोड़, जी.टी. रोड़ से रिंग रोड़ तक ।
43. कुतुबगढ़ रोड़ कंशावला गांव के बीच और आउटर रिंग रोड़ तक
44. वी-ब्लोक रोड़ मंगोलपुरी
45. कला मन्दिर रोड़ मंगोलपुरी
46. अमिन्तका चौक रोड़, कुतुबगढ़ रोड़ से सेक्टर 4/5 रोहिणी तक
47. सम्पूर्ण रोहिणी क्षेत्र 'कंशावला चौक से आउटर रिंग रोड़, कुतुबगढ़ रोड़ पर
48. अग्रिक विहार रोड़
49. लारिन्स रोड़
50. गुरू रामदास रोड़

- 51. अफ्रीका एवेन्यू रिंग रेलवे लाईन से आउटर रिंग रोड कूरो रिंग तक
- 52. मधुरा रोड राउण्ड अवाउट निजामुद्दीन से आग्रम चौक तक
- 53. धेन तरौजली नगर रोड ः जिगेडियर होशियार सिंह मार्ग ः मयानान्तर रिंग रेलवे लाईन
- 54. गोखले मार्ग
- 55. चन्दा बहादुर मार्ग
- 56. मैगजीन रोड
- 57. जी. टो. रोड ः पूर्वी तरफ ओल्ड यमुना ब्रिज के, 'वाई' प्लॉट धर्मपुरा तक
- 58. पालक फाटक से डावरी लाईट प्लॉट - पंखा रोड तक

सामान्य जनता की सूचना के लिए इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला अफसरों के कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा दिल्ली / नई दिल्ली के समस्त थानों के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

संबंधित नागरिक प्रशासन एवं उद्दक रख-रखाव अधिकरण जन-साधारण की सूचना एवं सूचना हेतु आवश्यक हैं सकेत यह प्रतिसंधित जगह को सकेत करते हुए लगाये।

यह आदेश 2.7.96 से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 2.7.96 को जारी किया गया।

3, 2011/118

॥ उच्चतम शिप्रा ॥
 उपायुक्त पुलिस वातावरण
 नई दिल्ली।
 ॥ =: /जे.पी. =: /x॥

सं० 7760-7959 वा.परि.ओ. शाखा ॥ 2॥ दिनांक, नई दिल्ली 2.7.1996
 प्रतिलिपि :-

- 1. उपसचिव ः गृह ः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राजपत्र में प्रकाशन हेतु अग्रसारित है।
- 2. अन्य सभी संबंधित अधिकारों जैसे अग्रेजी आदेश में।